

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रामसर का कुंआ

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. पुरखाराम पुत्र रामाराम 2. जेतीदेवी पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (बेरीवाला तला) तहसील व जिला बाड़मेर		1. फूसाराम पुत्र मोतीराम 2. केशाराम पुत्र खेताराम 3. गोमाराम पुत्र फूसाराम 4. स्वरूपाराम पुत्र फूसाराम 5. गेनाराम पुत्र लाखाराम 6. गंगाराम पुत्र लाखाराम 7. पुरोदेवी पत्नी लाखाराम 8. खीयाराम पुत्र खूमाराम 9. मूलाराम पुत्र पदमाराम 10. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 11. गजेन्द्र कुमार पुत्र पदमाराम 12. मूलाराम पुत्र नारणाराम 13. बांकाराम पुत्र नारणाराम 14. पवनी पत्नी नारणाराम 15. तेजाराम पुत्र दीलाराम 16. हरखू पत्नी दीलाराम 17. मांगी पत्नी ताजाराम 18. जोगाराम पुत्र ताजाराम 19. मानवेन्द्र पुत्र ताजाराम 20. देवी पत्नी पोकरराम 21. भंवरा पुत्र पोकर जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ तहसील व जिला बाड़मेर 22. दिलीप पुत्र रणछोड़ 23. हरीश पुत्र रणछोड़ 24. रमेश पुत्र रणछोड़ 25. देऊदेवी पत्नी रणछोड़ विप्राथी संख्या 22 से 24 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता विप्राथीनी संख्या 25 देऊदेवी पत्नी रणछोड़ 26. हम्पा पत्नी पदमाराम 27. रावताराम पुत्र गिरधारीराम 28. जेहाराम पुत्र गिरधारीराम 29. मूली पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-87/2021 दिनांक-17.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुंआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1006/796 रकबा 44.03 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6352-6355

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं फालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर फालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी पुरखाराम पुत्र रामाराम वगैरह जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (बेरीवाला तला) तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्राथीगण फूसाराम पुत्र मोतीराम वगैरह जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (बेरीवाला तला), पश्चिम रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर